न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-100/2017-2018

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

1. श्री मो0 इमरान, पिता-सुलेमान
सा0-सोनागढ़, वार्ड नं0-18, थाना-ताराबाड़ी,
जिला-अररिया...विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3241/हि0शा0, दिनांक 26.07.2017) के आलोक में अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-77/17, दिनांक 12.02.2017 धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 30/36/38 बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त हिरो होण्डा मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-39M-4374, चेसिस संख्या-MBLHA10AMDHK51941, ईजन संख्या-HA10EJDHK33904 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-77/17, दिनांक 12.02.2017 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्री मो0 इमरान, पिता-सुलेमान, सा0-सोनागढ़, वार्ड नं0-18, थाना-ताराबाड़ी, जिला-अररिया के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि अध्यक्ष, बैरगाछी ओ0पी0 दिनांक 12.02.2017 को समय 16:00 बजे थाना से हवलदार हरिवंश ठाकुर, सिपाही-424 प्रवीण कुमार, सिपाही 394 प्रदीप कुमार राम एवं चौकीदार 19/1 गणेश लाल तत्मा के साथ सरकारी वाहन से संध्या गश्ती एवं वाहन चेकिंग में प्रस्थान किया। बैरगाछी चौक स्थित सुफियान के टायर दुकान के सामने समय करीब 16:30 बजे वाहन चेकिंग के दौरान विपक्षी मोटर साईकिल पर सवार होकर पूरब तरफ से आ रहा था। विपक्षी को रूकने का इशारा किया गया। विपक्षी मोटर साईकिल घुमा कर भागने का प्रयास करने लगे। विपक्षी को बल के सहयोग से अपने घेरा में ले लिया गया। पुलिस बल को देखकर भागने के संबंध में पूछने पर विपक्षी ने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया। दो स्वतंत्र साक्षी-1. तौहीद, पे0-स्व0 कासिम, सा0-सूर्यापुर 2. इमरान, पे0-मो0 मोती, सा0-मैनापुर, दोनों थाना-बैरगाछी, जिला-अररिया के समक्ष विपक्षी की हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR39M4374 की डिक्की की जाँच की गई। डिक्की में 20 पीस ESKUF कफ सीरफ (प्रति बोतल 100 एम0एल0) कोडिनयुक्त पाया गया, जिसका बैच नं0-HEKS-19 अंकित है। कफ सीरफ के बारे में पूछताछ करने पर विपक्षी ने कोई संतोषजनक	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

25.05.2019

जवाब नहीं दिया और न हीं कोई कागजात प्रस्तुत किया। हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR39M4374 एवं कोडिनयुक्त कफ सीरप को विधिवत् जब्त किया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग करना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-77/17, दिनांक 12.02.2017, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 30/36/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटरसाईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटरसाईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटरसाईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-39M-4374 का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-39M-4374 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तद्नुसार अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-77/17, दिनांक 12.02.2017 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-39M-4374, चेसिस संख्या-MBLHA10AMDHK51941, ईजन संख्या-HA10EJDHK3-3904 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1037/विधि, अररिया, दिनांक 31/5/2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)

25.05.2019